संख्या- 5/ 66 /अइतीस-9-14-500(39)/2013

प्रेषक

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
अमरोहा।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक- 17 जनवरी, 2014

विषय- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक-15.10.2013 के अनुसार मा0 राज्यमंत्री, पंचायती राज विभाग के प्रस्तावानुसार पीडित रोगियों के उपचार हेतु श्री साई अस्पताल, मुरादाबाद को धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2926/वि0म0क्षे0वि0नि0/पी0रो0/2013-14, दिनांक-28.11.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत मा0 राज्यमंत्री, पंचायती राज विभाग के प्रस्तावानुसार पीडित रोगियों के उपचार हेतु श्री साई अस्पताल, मुरादाबाद को धनराशि अवमुक्त किये जाने के समबन्ध में मार्ग-दर्शन मांगे गये है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक-15.10.2013 में उल्लिखित चिकित्सालयों के साथ आदि शब्द का आशय यह है कि राज्य एवं केन्द्र सरकार के चिकित्सालय एवं बीमा से आच्छादित अस्पतालों जहॉ गम्भीर रोगियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध हो, के माध्यम से ही उपचार किया जाना अनुमन्य होगा। आदि शब्द का आशय निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों से नहीं है।

भवदीय

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

संख्या- 5/66 /अइतीस-9-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in